न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी – श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 43/2020

वादी : –

1. किशोर चौहान पुत्र श्री नारायणराम जी चौहान जाति माली निवासी बी–23, कमला नेहरू नगर प्रथम, जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण : –

1. सुरजकरण पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट, निवासी मोटड़ों का बास तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. घेंवरराम पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट, निवासी मोटड़ों का बास तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. महावीर कोठारी पुत्र श्री नाहरमल कोठारी निवासी ए–275 शास्त्रीनगर, जोधपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

———

वाद बाबत जारी करने निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. **प्रेमकुमार देवड़ा** अधिवक्ता वादी।
2. **प्रहलादसिंह, मोतीसिंह व उर्जाराम पटेल,** प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से

दिनांक : – 10.06.2026

– :: आदेश :: –

1. वादी द्वारा एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिनके संक्षित विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नं0 248/3 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा का वादी अभिलिखित खातेदार है जिस पर वादी का शाति पूर्वक कब्जा–काश्त बहैसियत खातेदार के रूप में चला आ रहा है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पूर्व के अभिलिखित्त खातेदार से जरिये पंजीकृत विकय विलेख लगभग 12 वर्ष पूर्व कय किये थे राजस्व नक्शे में उक्त भूमि तरमीम सुदा है। खसरा नं0 248/3 ग्राम सालावास के भूमि के उत्तर में खसरा नं0 248 मूल की भूमि, दक्षिण में खसरा नं0 249 की भूमि, पूर्व में खसरा नं0 248/9 की भूमि व पश्चिम में खसरा नं0 248 का कुछ भाग व बादमें खसरा नं० 243 की भूमि स्थित है। वादी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि खसरा नं० 248/3 के उत्तर में हत्था बना हुआ हे व दक्षिण में भी हत्था बना हुआ है। पूर्व व पश्चिम की सीमाये खुली है जिस पर वादी शांति पूर्वक मालिक काबिज है व उपयोग व उपभोग कर रहा है। बिनाय दावा जब प्रतिवादीगण दिनांक 19.07.2020 को अकस्मात खसरा नं0 248/3 की भूमि के पास आकर निर्माण सामग्री उक्त खसरे की पश्चिमी सीमा के पास डालनी शुरू की एवं नीवें खोदने का प्रयास किया। वादी द्वारा पहले पेमाईस करने एवं उसके बाद में वे खसरा नं0 248 की भूमि पर निर्माण करने का निवेदन किया परन्तु उन्होने वादी की कोई बात नहीं सुनी एवं जेसीबी मशीन से खसरा नं0 248/3 की पश्चिमी सीमा के अन्दर नीवें खोदनी शुरू कर दी लगभग 100 मझदुर लगाकर यूद्ध स्तर पर दिवार बनाना शुरू कर दिया। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने वादी के साथ धक्का मुक्कि की एवं कहां की वे दिवार बनाकर रहेंगे एवं कोई पेमाईस नहीं करवायेंगे। प्रतिवादीगण जबरन वादी की भूमि खसरा नं० 428/3 की पश्चिमी सीमा पर अंतिक्रमण कर उसके एक भाग पर दिवार बनाकर कब्जा करने पर उतारू है। जबकी उन्हे ऐसा करने के कोई अधिकार नहीं है।यदि वे सफल हो जाते है तो वादी को उपरोक्त भूमि में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अपने अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपार नुकशान होगा जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में वादी के पास अब माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। यह कि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। अतः वादी द्वारा वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वे वादी के खातेदारी की भूमि खसरा नं0 248/3 ग्राम सालावास के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं करे एवं न किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करावे तथा वादी के कब्जा काश्त में कोई दखल अंदाजी नहीं करे व न वादी को बेदखल करे।

2. अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पेश होने पर कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया। जिनकी तामिली नियमानुसार प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उर्जाराम पटेल द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम में कथन किया कि वादी द्वारा गलत तरमीम को जायज करने के लिए वाद झूठें आधारों पर पेश किया है। प्रतिवादी ने किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया न करने का कोई इरादा रखते है। प्रतिवादी के नाम से जो भूमि है उसके चारों तरफ बाउन्डरी वॉल बनी हुई हैं एवं किसी भी प्रकार से कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। खसरा 248 की सम्पूर्ण भूमि जिसमें वादी के नाम दर्ज खसरा संख्या 248/3 रकबा 4.10 बीघा, 248/12 रकबा 2 बीघा, व खसरा 248/13 रकबा 2 बीघा भूमि भी सम्मिलित है, अनुसूचित जाति के वयक्ति श्री रामचन्द्र के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। रामचन्द्र द्वारा अपने सम्पूर्ण रकबे को अलग–अलग टुकड़ों में बेचान किया गया जिसकी म्यूटेशन सख्या 2929 व 2930 पर दर्ज किया गया है। वादी ने उपरोक्त भूमि बईमानी पूर्वक फर्जी कागज तैयार कर खरीद की है। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, इसलिये उसके नाम खातेदारी अधिकारों का अन्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबन्धित है एवं कानुनन वादी को ऐसे भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद सव्यय खारिज कर एवं काउन्टर क्लेम बाबत घोषणात्मक डिक्री इस आशय का डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त खसरा संख्या 248/3, 248/12 व 248/13 कुल रकबा 8.10 बीघा ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर मे दर्ज भूमि जो वादी के नाम दर्ज है, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबन्धित अन्तरण होने के कारण शून्य है। इसीलिये वादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि निरस्त फरमाई जाकर उपरोक्त तीनों खसरा की भूमि रकबाराज दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

3. वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पेश जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम का जवाबउल जवाब पेश किया गया किया। वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि खसरा संख्या 248 की सम्पूर्ण भूमि जिसमें वादी के नाम से दर्ज खसरा संख्या 238/3 रकबा 4–10 बीघा, खसरा संख्या 248/12 रकबा 02 बीघा व खसरा संख्या 248/13 रकबा 02 बीघा अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री रामचन्द्र के नाम से खातेदारी में दर्ज नहीं थी। जबकि वास्तविकता यह हैं कि खसरा संख्या 248/3 की कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि मोहनलाल पुत्र श्री बालकिशन जाति ब्राहम्ण, सा. तनावड़ा, नामक खातेदार की कृषि भूमि थी उक्त खातेदार के फौत होने पर उसके स्थान पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1724 के जरिये उक्त खसरा संख्या 248/3 की कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल, शंकरलाल, देवीलाल, किशोरीलाल, कन्हैयालाल पि. भंवरलाल बाहम्ण, सा. तनावड़ा के नाम से दर्ज की गयी। तत्पश्चात उक्त खसरा संख्या 248/3 की कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से अलग अलग बेचान के जरिये ओमप्रकाश वगैरा द्वारा बेचान कर दी गयी जिन बेचाननामों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2316, 2354 व 2487 दर्ज किया जाकर खरीददारान के नाम से नये खसरा संख्या अंकित किये गये तत्पश्चात खसरा संख्या 248/4 रकबा 02 बीघा व खसरा संख्या 248/5 रकबा 02 बीघा के खातेदार भगवानदास राठी फौत होने से उनके स्थान पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 2440 के द्वारा उनके वारिसान रश्मि राठी पत्नि भगवानदास, अनिरूद्ध पुत्र भगवानदास व आश्ता पुत्री भगवानदास राठी के नाम से उक्त दोनो खसरें दर्ज किये गये। खसरा संख्या 248/4, 248/5, 248/6, 248/7. 248/8, 248/9 को नवीन कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी कार्यक्रम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

के तहत नवीन खसरा संख्या 248/3, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, व 248/13 में तब्दील कर दिया गया। तत्पश्चात खसरा संख्या 248/10 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा के खातेदार भगाराम पुत्र देवाराम माली से उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी द्वारा खरीद कर दी गयी जिस पर वादी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 3270 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से खसरा संख्या 248/10 की रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा दर्ज की गयी एवं इसी प्रकार से खसरा संख्या 248/12 की रकबा 02 बीघा व खसरा संख्या 248/13 की रकबा 02 बीघा कृषि भूमि भी वादी द्वारा उनके खातेदार रश्मि राठी वगैरा से खरीद कर दी गयी तथा वादी द्वारा पूर्व में जो खसरा संख्या 248/6 के रूप में रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा खरीद की गयी थी वह नवीन कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी कार्यक्रम के तहत वादी के नाम से खसरा संख्या 248/3 में तब्दील करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये। इस प्रकार से वादी खसरा संख्या 248/12 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 248/13 रकबा 02 बीघा व खसरा संख्या 248/3 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 248/10 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा का स्वर्णजाति के व्यक्तियों से खरीद करने पर खातेदार दर्ज हुआ हैं। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा वादी का वाद स्वीकार किया जावें ।

4. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकी प्रस्तावित की गई –
   - आया वादी ग्राम सालावास के खसरा संख्या 248/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का रेकर्ड खातेदार है। (जिम्मे वादी)
   - आया वादी ग्राम सालावास के खसरा संख्या 248/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है। (जिम्मे वादी)
   - आया वादी ग्राम स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
   - अनुतोष?

उपरोक्त तनकीयात कायम करने के पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी के शपथपत्र पेश करने हेतु नियत की गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं किशोर चौहान, साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी प्रदर्श–2 नजरी नक्शा प्रदर्शित करवाये गये। इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य तथा शपथ पत्र पेश नहीं किया गया।

उभय पक्षकारान् विद्वान अधिवक्तागण की तनकीवार बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी सं. 01 व 02 :– प्रकरण मे मुख्य रूप से तनकी सं. 1 कायम की गई है, जिसे सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी सं. 1 मे वादी को यह सिद्ध करना था कि ग्राम सालावास के खसरा संख्या 248/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का रेकर्ड खातेदार है। वादी द्वारा उपरोक्त तनकी के संबंध मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं वाद मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वादी खसरा संख्या 248/12 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 248/13 रकबा 02 बीघा व खसरा संख्या 248/3 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 248/10 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा का स्वर्णजाति के व्यक्तियों से खरीद करने पर खातेदार दर्ज हुआ हैं। खसरा नं0 248/3 रकबा 04 बीघा का वादी अभिलिखित खातेदार है जिस पर वादी का शाति पूर्वक कब्जा–काश्त बहैसियत खातेदार के रूप में चला आ रहा है। इसके समर्थन मे वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे वादग्रस्त कृषि भूमि ख.स. 248/3 की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 दिनांक 04.02.2020 एवं नजरी नक्शा प्रदर्श–1 तथा प्रदर्श 2 के रूप मे प्रस्तुत की गई है। उक्त पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी किशोर चौहान पुत्र श्री नारायणराम जी चौहान जाति माली खसरा संख्या 248/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बहैसियत रेकर्डेड एकल खातेदार के रूप मे दर्ज है तथा उक्त आराजी तरमीम होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसके विपरित प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

वयक्ति श्री रामचन्द्र के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, इसलिये उसके नाम खातेदारी अधिकारों का अन्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबन्धित है एवं कानुनन वादी को ऐसे भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। परन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई दस्तावेज पेश किये गये न ही बहस इसे सिद्ध किया जा सका। तनकी संख्या 02 में वादी को सिद्ध करना था कि आया वादी ग्राम सालावास के खसरा संख्या 248/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है। वादी द्वारा पेश शपथ पत्र में यह कथन किया कि वादी वादग्रस्त भूमि में बहैसियत रैकर्डेड खातेदार जिस पर वादी का शाति पूर्वक कब्जा–काश्त बहैसियत खातेदार के रूप में चला आ रहा है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम में वादग्रस्त भूमि में वादी काबिज है, इसका खण्डन नहीं किया है। इस प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि में वादी रेकर्डेड खातेदार है। इस प्रकार वादी यह सिद्ध करने मे सफल रहे है कि वादग्रस्त कृषि भूमि गांव सालावास तहसील लूणी के खसरा नं0 248/3 रकबा 04 बीघा का वादी अभिलिखित खातेदार है। ऐसी स्थिति मे तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 03 :– "आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।" इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था। तनकी सं. 1 के विवेचन से यह सिद्ध होता है कि वादी वादग्रस्त भूमि का अपने हक हिस्से का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि बाबत् सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति अपने पक्ष मे सिद्ध करने मे सफल रहा है। ऐसी स्थिति मे वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हिस्से की भूमि के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह तनकी भी वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। उपरोक्त समग्र विवेचन से वादी तनकी सं. 1 से 3 अपने पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिद्ध करने मे सफल रहे है।

दोनो पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजो का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण एवं तनकीवार निर्णयो के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है साथ ही प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

5. अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नं0 248/3 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, अतिक्रमण व निर्माण कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

6. निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 43/2020

वादी : –

किशोर चौहान पुत्र श्री नारायणराम जी चौहान जाति माली निवासी बी–23, कमला नेहरू नगर प्रथम, जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण : –

1. सुरजकरण पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट, निवासी मोटड़ों का बास तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. घेंवरराम पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट, निवासी मोटड़ों का बास तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. महावीर कोठारी पुत्र श्री नाहरमल कोठारी निवासी ए–275 शास्त्रीनगर, जोधपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 43/2020 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर डिकी इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नं0 248/3 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, अतिक्रमण व निर्माण कार्य नहीं करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..... .....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10.06.2026 को जारी की गई।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी